

**बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
2017 की प्रतिवेदन सं. 23**

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v-vi
कार्यकारी सारांश		vii-xiii
अध्याय I : प्रस्तावना	1.1 - 1.11	1-6
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
वित्तीय सहायता	1.3	2
प्राप्त आँकड़े	1.4	3
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	4
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.6	4
लेखापरीक्षा नमूना चयन	1.7	4
लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली	1.8	5
लेखापरीक्षा मानदंड	1.9	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना	1.10	6
आभार	1.11	6
अध्याय - II वित्तीय प्रबंधन	2.1 - 2.15	7-27
पृष्ठभूमि	2.1	7
अधिनियम के अंतर्गत व्यय हेतु कोई अलग बजट प्रावधान का न होना	2.2	8
बजट प्राक्कलन एवं व्यय	2.3	9
तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान का निर्गम	2.4	11
भारी अप्रयुक्त शेष	2.5	12
बकाया अग्रिम	2.6	12
वित्त वर्ष की समाप्ति पर सहायता-अनुदान का निर्गम	2.7	13
विभिन्न स्तरों पर निधियों के निर्गम में विलंब	2.8	14
निधियों का अनियमित निर्गम/उपयोग	2.9	16
निधियों का दुर्विनियोजन	2.10	19

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में निधियों का कम उपयोग	2.11	21
राज्य कार्यान्वयन समितियों के वार्षिक लेखों में अनियमित चित्रण	2.12	24
सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा लेखाओं का प्रमाणीकरण	2.13	25
निष्कर्ष	2.14	26
अनुशंसाएं	2.15	27
अध्याय - III आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन	3.1 - 3.25	28-73
अधिनियम का विकास	3.1	28
स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	3.2	29
परिवहन सुविधा पर व्यय	3.3	30
निवल नामांकन अनुपात प्रवृत्ति	3.4	33
सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में खराब अवधारण दर	3.5	35
अपूर्ण यूडीआईएसई ड्रापआउट डाटा	3.6	36
एचआईवी प्रभावित बच्चों के प्रति भेदभाव	3.7	36
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) हेतु सुविधाएं	3.8	37
पूर्व-विद्यालय शिक्षा हेतु सुविधाएं	3.9	39
प्रति बच्चा-व्यय की प्रतिपूर्ति	3.10	40
छात्रों को एक ही कक्षा में रखना	3.11	43
मान्यता के बिना असहायता प्राप्त विद्यालयों का कार्य	3.12	44
अधिनियम के उल्लंघन में कैपिटेशन शुल्क का उद्ग्रहण	3.13	46
छात्र-शिक्षक अनुपात	3.14	47
शिक्षक कक्षा अनुपात में विपरीत प्रवृत्ति	3.15	50
गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु शिक्षकों की तैनाती	3.16	51
पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों का अधिप्रापण/वितरण	3.17	53
स्कूलों के अवसंरचनात्मक विकास में अनियमितताएं	3.18	57
निधियों को अवरुद्ध करना	3.19	63
अधिप्रापण में अनियमितताएँ	3.20	65
विद्यालयों के संचालन में अनियमितताओं के मामले	3.21	68
यूडीआईएसई एवं राज्य(यों) के डाटा के बीच अंतर	3.22	68

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये अच्छे कार्य	3.23	71
निष्कर्ष	3.24	71
अनुशंसाएं	3.25	72
अध्याय - IV मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	4.1 - 4.12	74-95
पृष्ठभूमि	4.1	74
राष्ट्रीय सलाहकार समिति	4.2	74
राज्य सलाहकार समिति (एसएसी)	4.3	75
विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)	4.4	76
निरीक्षणों में कमी	4.5	80
शिकायत निवारण तंत्र	4.6	82
संस्थानों द्वारा मॉनीटरिंग में पाई गई अनियमितताएं	4.7	87
आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव	4.8	89
सिविल कार्यों का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन	4.9	91
बच्चों द्वारा सीखने का स्तर मूल्यांकन/छात्रों द्वारा कम अकादमिक उपलब्धि	4.10	91
निष्कर्ष	4.11	94
अनुशंसाएं	4.12	94
परिशिष्ट	I - V	97-118
संकेताक्षर		119-122